

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

अपील संख्या :- /

1. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री सुल्तान जाति जाट निवासी चुम्बकियागढ तहसील राजगढ जिला चुरू राज.
 2. सुरेश कुमार पुत्र श्री सुल्तान जाति जाट निवासी चुम्बकियागढ तहसील राजगढ जिला चुरू राज.
 3. बिरमा देवी पत्नि श्री सुल्तान जाति जाट निवासी चुम्बकियागढ तहसील राजगढ जिला चुरू राज.
 4. दर्शना पुत्री श्री सुल्तान जाति जाट निवासी चुम्बकियागढ तहसील राजगढ जिला चुरू राज.
 5. राजबाला पुत्री श्री सुल्तान जाति जाट निवासी चुम्बकियागढ तहसील राजगढ जिला चुरू राज.
-अपीलांत

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

—: निर्णय :-

दिनांक :-

अपील का ब्यौरा इस प्रकार है कि विवादित कृषि भूमि वाकें चक 16 बीएलडी ओल्ड के मुर्ब्बा नंबर 52/14 की 25 बीघा जमीन अपीलांत के पिता/पति सुल्तान पुत्र सुरजा राम जाति जाट निवासी चुम्बकियागढ चुरू को विशेष आवंटन के तहत आवंटन हुई थी। लेकिन उपनिवेशन तहसीलदार पूगल द्वारा उस आवंटन आदेश का नामान्तरण तस्दीक करते वक्त सुल्तान के पिता का नाम सुखाराम दर्ज कर दिया। अपीलांत द्वारा उक्त नामान्तरण को निरस्त कर सुल्तान के पिता का नाम दुरुस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अदालत द्वारा अपीलांत द्वारा पेश किए गए साक्ष्य मूल आवंटन प्रक्रिया और नामान्तरण संख्या 24 की प्रमाणित प्रति पर गौर किया गया। मिसल संख्या 968/96 के तहत दर्ज हुई आवंटन प्रक्रिया और निर्णय दिनांक 22.02.97 और 16.10.97 के तहत जारी किए गए आवंटन आदेश क्रमांक 10946-50 में सुल्तान के पिता का नाम सुरजाराम दर्ज है। इस आवंटन आदेश की पालना में तस्दीक किए गए नामान्तरण संख्या 24 दिनांक 16.06.98 में सुल्तान के पिता का नाम सुखाराम दर्ज है।

सबूतों पर गौर करने से यह जाहिर होता है कि नामान्तरण तस्दीक करते समय सहवन से सुरजाराम की जगह सुखाराम दर्ज कर दिया गया है। इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अदालत द्वारा यह फैसला किया जाता है कि विवादित आराजी के सिलसिले में राजस्व रिकॉर्ड सुल्तान पुत्र सुखाराम की जगह सुल्तान पुत्र सुरजाराम दर्ज किया जाए। तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

